International Journal of Home Science 2021; 7(1): 265-268

International Journal of Home Science

ISSN: 2395-7476
IJHS 2021; 7(1): 265-268
© 2021 IJHS
www.homesciencejournal.com
Received: 16-11-2020
Accepted: 03-01-2020

डॉ. प्रतिभा पाल
असिस्टेंट प्रोफेसर, गृहविज्ञान, गांधी शताब्दी स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोयलसा, आजमगढ, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
डॉ. प्रतिभा पाल
असिस्टेंट प्रोफेसर, गृहविज्ञान, गांधी शताब्दी स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोयलसा, आजमगढ, उत्तर प्रदेश, भारत

समेकित बाल विकास योजनाओं के लक्ष्यों का मूल्यांकन

डॉ. प्रतिभा पाल

सारांश
इस अध्ययन के अन्तर्गत महिला तथा बाल विकास की दिशा में क्रियान्वित कार्यक्रमों का समीक्षात्मक विश्लेषण किया गया है । इसके अंतर्गत बाल विकास हेतु उठाए जा रहे सरकारी कदमों का विश्लेषण करना इस अध्ययन के उद्देश्यों में सम्मिलित है। यह अध्ययन इस विषय में कार्यरत शोधार्थीयो तथा शिक्षाविदों हेतु बेहद कारगर सिद्ध होगी।

मूल शब्द - समेकित बाल विकास योजना, गर्भवती माताएं, प्रसूति महिलाएं, कुपोषण।

प्रस्तावना
समेकित बाल विकास योजना 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली महिलाओं की पोषणिक तथा विकास आवश्यकताएं की पूर्ति के उद्देश्य से संचालित की गई महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। भारतीय परिवेश में गर्भवती महिला के आहार संबंधी आवश्यकताओं कि अपर्याप्तता के फल स्वरुप कुपोषण जैसी परिस्थितियों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है जिसके परिणाम स्वरूप गर्भवती माता के गर्भ में पलने वाले शिशु पर इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है जिसे मात्री शिशु मृत्यु दर में हुई बढ़ोतरी के आधार पर समझा जा सकता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 की रिपोर्ट में यह पाया गया है कि भारत में जन्म लेने वाले 22% बच्चे कम वजन के हैं जिसमें से 79% बच्चे रक्ताल्पता से ग्रसित हैं।

इन्हीं समस्याओं के निवारण हेतु आईसीडीएस निदेशालय का नेतृत्व एक निदेशक द्वारा किया जाता है जिनकी सहायता हेतु एक बहु स्तरीय कर्मचारी संरचना गठित की गई है। जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना कर समेकित बाल विकास सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के प्रयास किए गए हैं। आईसीडीएस की सबसे लघु तथा अहम इकाई के रूप में आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक जमीनी स्तर पर घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं से संबंधित क्रियाकलापों का आयोजन करती हैं तथा सामाजिक जन जागरूकता में अपना अहम योगदान देती हैं।

अध्ययन उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य महिला तथा बाल विकास हेतु क्रियान्वित सरकारी कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना है जिसके अंतर्गत इस अध्ययन को दो सोपानों में विभक्त करके समझने का प्रयास किया गया है जो निम्न प्रकार है ।

1. समेकित बाल विकास योजना की पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
2. समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों का अध्ययन करना।

अध्ययन की आवश्यकता

इस विषय पर अध्ययन की आवश्यकता इसलिए महत्वपूर्ण समझी जा सकती है क्योंकि विश्व का हर पांचवा बच्चा एक भारतीय है अर्थात वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक 0 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की जनसंख्या 158.7 (15.87 करोड़) मिलियन है। जिसके अंतर्गत 8.29 करोड़ बालक तथा 7.58 करोड़ बालिकाएं हैं। बालक एवं बालिकाओं की जनसंख्या वर्ष 2001 की तुलना में क्रमशः 5 मिलियन और 30 लाख कम है । साक्षरता और अर्थव्यवस्था में विकास के बावजूद बच्चों के सर्वांगीण विकास को कम करके आंका गया है जिसके परिणामस्वरूप भारत में न केवल 40% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं बल्कि उनका शारीरिक तथा मानसिक विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। निश्चित रूप से बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में तथा उनके वृद्धि और विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में सरकारी कार्यक्रमों का समीक्षात्मक मूल्यांकन करना अति आवश्यक है।

समेकित बाल विकास योजना (**Integrated Child Development Service**) की पृष्ठभूमि

यह एक अद्वितीय प्रारंभिक बचपन का विकास कार्यक्रम है जिसका क्रियान्वयन वर्ष 1975 में किया गया था। अपने प्रारंभिक चरण में इस योजना को देश के 33 विकास खंडों में संचालित किया गया था विगत 35 वर्षों में ये इसके क्षेत्र को बढ़ाकर लगभग 14 लाख परिवारों तक पहुंचाया गया है। इसका मूल उद्देश्य कुपोषण, स्वास्थ्य, युवा, बच्चों तथा गर्भवती माताओं को संबोधित करना है। इसके अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं को स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षणिक सेवाओं का समेकित पैकेज प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस समेकित पैकेज में पूरक पोषण, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा सम्मिलित है। इस समय की योजना को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा 7076 परियोजनाएं तथा 140 लाख आंगनवाड़ी/ लघु आंगनवाड़ी केंद्र अनुमोदित किए गए हैं।

समेकित बाल विकास योजना के उद्देश्य

ICDS का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक बचपन को संरक्षण प्रदान करना है जिसके अंतर्गत गुणवत्ता पूर्ण पोषण से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं के संरक्षण का प्रावधान किया जाता है। इसके उद्देश्यों में बालक के शारीरिक मानसिक संवेगात्मक तथा सांस्कृतिक विकास के आयामों प्राप्त करने के अतिरिक्त गर्भवती माता तथा प्रसूति महिलाओं का स्वास्थ्य भी सम्मिलित किया जाता है।

समेकित बाल विकास योजना हेतु पात्र I CDS के अंतर्गत निम्न क्षेत्रों के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को सम्मिलित किया जाता है।

- कुपोषित बच्चे ।
- कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे।
- असुरक्षित और जोखिम में पड़े बच्चे।
- निर्धन परिवारों के बच्चे तथा प्रसूति माताएं ।
- अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के बच्चे तथा प्रसूति माताएं ।

समेकित बाल विकास योजना के उद्देश्यों के मुख्य घटक

1. प्रारंभिक बचपन देखभाल, शिक्षा और विकास
2. देखभाल और पोषण परामर्श
3. स्वास्थ्य सेवाएं
4. सामुदायिक जागरूकता

समेकित बाल विकास योजना के लक्ष्य

आरंभिक विकास को मानवीय विकास की आधारशिला कहा जाता है अतः जन्म के 3 वर्ष तक की अवधि में बच्चे का विकास तीव्र गति से होता है या यह अवधि बालक के विकास में अत्यधिक असुरक्षित भी समझी जाती है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार निर्धारित की गई है कि असमानता को प्रभावी ढंग से कम कर के निम्न आय समूह वंचितों तथा कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले परिवारों तक पहुंचा जा सके। समेकित बाल विकास योजना के लक्ष्यों के संकेतक को समझने के लिए कम भर वाले शिशुओं को व्यापकता को कम करना होगा, स्वास्थ्य के साथ सामंजस्य स्थापित करके रक्ताल्पता तथा कुपोषण जैसी समस्याओं की वृद्धि को अवरुद्ध करना होगा तथा ऐसी सहभागिता को मजबूत करना होगा जो स्थानीय तथा नवाचार में सामंजस्य स्थापित करती हो।

यह योजना मातृ और शिशु अल्पपोषण तथा इससे संबंधित मृत्यु दर में तीव्रता से कमी लाने में सहयोग करेगी तथा शिशुओं के लिए पोषण और संरक्षित वातावरण मैं आरंभिक बाल विकास और अधिगम परिणामों को बढ़ाएगा। इसी दिशा में वर्ष 2008 - 09 में इस योजना का सार्वभौमीकरण किया गया था अर्थात 2008-09 में भारत में आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या 8.44 लाख थी जो अगस्त 2012 में 13.19 लाख हो गई । सार्वभौमीकरण के पश्चात आंगनवाड़ी केंद्रों की पहुंच को 14 लाख परिवारों तक विस्तारित किया जाएगा। जिससे बालकों के आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा व्यवस्था की पहुंच को सुलभ बनाया जा सकेगा। परिवार स्तर पर आहार परामर्श की सेवाओं को सुनिश्चित करना, बाल अभिवृद्धि और विकास का संवर्धन अथवा मॉनिटरिंग करना , सर्वोत्तम शिशु तथा बाल फीडिंग जन्म के 6 वर्ष तक स्तनपान को समर्थन देना संवर्धन करना तथा सुनिश्चित करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर ध्यान देना व उनका संवर्धन करना। जिसके अंतर्गत शारीरिक अपंगता अथवा भिक्षावृत्ति में सम्मिलित बच्चे तथा एचआईवी एड्स से पीड़ित माता पिता से उत्पन बच्चो के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस योजना में मानव संसाधनों को मजबूत बनाने की दिशा में एक विस्तृत मानव श्रृंखला निर्मित की जाए जिसका प्रभावी कार्यान्वयन तथा पर्यवेक्षण किया जा सके। अल्प पोषण को रोकना अथवा कम करना तथा 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा स्तनपान कराने वाली माताओं तक पहुंच को सुगम बनाना ताकि शिशु उतरजीविता , पोषण , विकास और अधिगम परिणामों को बढ़ाया जा सके। बच्चों को शारीरिक मानसिक तथा संवेगात्मक रूप से मजबूत बनाना ताकि वे भेदभाव रहित जीवन में विकास कर सकें। लिंग असमानता के प्रति संवेदनशील लड़कियों, महिलाओं तथा परिवारों तक बाल कल्याण तथा महिला कल्याण हेतु जिन जागरूक किया जाना चाहिए। इस योजना के अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति में विभिन्न प्रकार की

समस्याएं चुनौती की तरह उभरी हैं जिसके अंतर्गत अपर्याप्त वित्त पोषण, कन्वर्जेंस के अभाव, सामुदायिक स्वामित्व के अभाव तथा कार्यक्रम का प्रबंधन करने वालों तथा कराने वालों की उत्तर देयता का अभाव इसके संतोषजनक परिणामों को अवरुद्ध करते हैं।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन का विश्लेषण करने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि समेकित बाल विकास योजना महिला एवं बाल विकास कल्याण की दिशा में तथा कुपोषण के विरुद्ध युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण युक्ति के रूप में क्रियान्वित है। हालांकि यह समेकित बाल विकास योजनाये अपने उद्देश्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति से परे हैं जिसके अंतर्गत समेकित बाल विकास योजना की अपनी चुनौतियों के संबंध में निवारण करने संबंधी प्रयत्न किए जाने चाहिए ताकि इस योजना का लाभ राष्ट्र के प्रति एक जरूरतमंद महिला तथा बच्चे तक पहुंचाया जा सके।

संदर्भ सूची

1. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां 13-2012, पृष्ठ संख्या 390
2. आईसीडीएस मिशन - कार्यान्वयन के लिए विस्तृत ढांचा, महिला एवम बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार
3. श्रद्धा कटियार 2005, समेकित बाल विकास योजना एक मूल्यांकन, सीरियल प्रकाशन